मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2016 को आयोजित आपूर्ति विभाग के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(1) व्यवसायिक गैसः-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मेसर्स शिवशक्ति एजेन्सी,मौरा (सिंहेश्वर) द्वारा प्रतिवेदित माह में विगत माह के तुलना में 14 व्यवसायिक गैस सिलिण्डर एवं मेसर्स ओम साई राम एच0पी0 गैस एजेन्सी, आलमनगर द्वारा प्रतिवेदित माह में विगत माह के तुलना में 15 व्यवसायिक गैस सिलिण्डर की कम वितरण किया गया। इस संबंध में पृच्छा किये जाने पर संबंधित गैस एजेन्सी के प्रोपराईठर द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदित माह में शतप्रतिशत व्यवसायिक गैस उपभोक्ताओं द्वारा गैस नही लिये जाने के कारण व्यवसायिक गैस का वितरण कम हुआ है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहेश्वर एवं आलमनगर को निदेशित किया गया कि वे गैस एजेन्सियों से वैस व्यवसायिक गैस उपभोक्ताओं जिनके द्वारा गैस नही लिया गया की सूची प्राप्त कर इनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की औचक जॉच करना सुनिश्चित करें। जॉच के दौरान यदि उनके प्रतिष्ठान/होटल/चाय-नास्ता की दुकानों/धर्मशाला में अवैध रूप से एल0पी0जी0 सिलेंण्डर (घरेलू गैस) का उपयोग करते पकड़ा जाय तो उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय। इसके अलावा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी निदेशित किया गया कि वे अपने-अपने प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत सड़क के किनारे अवस्थित चाय-नास्ता की दुकानों एवं अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले दुकानों की गहन छापामारी करे तथा अनियमितता पकड़ें जाने पर उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

इसी क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहेश्वर द्वारा बताया गया कि शिवशक्ति गैस एजेन्सी जो प्रखंड सिंहेश्वर में कार्यरत है, उन्हें प्रखंड शंकरपुर, पंचायत मौरा का नाम से एजेन्सी चलाने की अनुमति प्राप्त है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे इन एजेन्सी के अनुज्ञप्ति संबंधी कागजातो की जॉच कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करें कि उन्हें किस स्थान पर एजेन्सी चलाने की अनुमति प्राप्त है।

(2) प्रधानमंत्री उज्जवाला योजनाः-

बैठक में गैस एजेन्सियों के प्रोपराईटर द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्जवाला योजना के तहत लाभूको को विना शुल्क के नये कनेक्शन देने हेतु उन्हे सूची प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में उनके द्वारा लाभूको को नया कनेक्शन दिया जा रहा है।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस जिले क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत कुल 13 गैस एजेन्सियों में प्रतिवेदित माह तक कुल 10555 लाभूको से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया, जिसके विरूद्ध मात्र 3405 लाभूकों को उक्त योजना के तहत् नया गैस कनेक्शन दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए सभी गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर को निदेश दिया गया कि

उनके एजेन्सी से सम्बद्ध घरेलू गैस उपभोक्ताओं का कम से कम 10% लाभूको को दिनांक 30.08. 2016 तक उक्त योजना के तहत् गैस कनेक्शन देना सुनिश्चित करे एवं अभियान चलाकर जो लक्ष्य उन्हें प्राप्त हुआ है,के अनुरुप शतप्रतिशत लाभूको को उक्त योजना के तहत नियमानुसार गैस कनेक्शन दिया जाय। कनेक्शन देने में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित गैस एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को निदेश दिया गया कि वे इसके सत्त निगरानी एवं अनुश्रवण करेगें तथा अद्योहस्ताक्षरी को इससे अवगत करायेगें।

➢ समीक्षा के क्रम में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभूको को नया गैस कनेक्शन दिये जाने हेतु लक्ष्य संबंधी सभी गैस एजेन्सी से पृच्छा किये जाने पर किसी भी एजेन्सी के प्रोपराईटर द्वारा लक्ष्य नही बताया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा सभी गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर को निदेश दिया गया कि उन्हे जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसकी प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराया जाय। लक्ष्य स्पष्ट नही रहने के कारण तत्काल जिलाधिकारी द्वारा इस महिने में निम्न विवरण के अनुरुप उक्त योजना के तहत लाभूको को गैस कनेक्शन देने हेतु न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया:-

क्र0	गैस एजेन्सी का नाम	मह अगस्त मे गैस कनेक्शन दिये जाने हेतु लक्ष्य
1	2	3
1	मेजर योगेन्द्र गैस एजेन्सी, मधेपुरा	2000
2	मेसर्स प्रभा इण्डेन बिहारीगंज	700
3	मेसर्स जयराम स्मृति इंडेन, मधेपुरा।	700
4	त्रिमुति गैस एजेन्सी, मुरलीगंज	1300
5	मेसर्स शिव शक्ति इंडेन मौरा	1100
6	अनुराग एच0पी0गैस ग्रामीण वितरक ग्वालपाड़ा	160
7	रॉयल एच0पी0गैस ग्रामीण वितरक पुरैनी	275
8	यस कृश एच0पी0 गैस ग्रामीण वितरक, गम्हरिया	265
9	ममता एच0पी0 गैस ग्रामीण वितरक, घैलाढ़	320
10	ओम साई राम एच0पी0 गैस वितरक, आलमनगर	500
11	मंगल एच0पी0 गैस गामीण वितरक,उदाकिशुनगंज	500
12	युवा एच0पी0 गैस ग्रामीण वितरक, चौसा	330
13	बाबा सिंहेश्वर एच0पी0, ग्रामीण वितरक, सिंहेश्वर	1000

➢ इसी क्रम में सभी गैस एजेन्सियों के प्रोपराईटर को यह भी निदेश दिया गया कि उन्हें जो सूची प्राप्त हुई उसे अपने-अपने गैस एजेन्सी कार्यालय के परिसर में प्रदर्शित करें, ताकि लाभूको को यह स्पष्ट पता चले कि उनका नाम सूची में है या नही और वे विचौलिया से बच सकें।

(3) खाद्यान्न उठावः-

➢ जिलाधिकारी द्वारा बैठक में पूर्विकताप्राप्त एवं अन्योदय योजना के खाद्यान्न की उठाव एवं वितरण की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम पाया गया कि माह जुन,2016 में कुल 1186 प्रिंट एस0आई0ओ0 के विरूद्व 1179 एस0आई0ओ0 डिस्पैच एवं माह जुलाई,2016 में कुल 1173 प्रिंट एस0आई0ओ0 के विरूद्व मात्र 566 एस0आई0ओ0 डिस्पैच तथा माह अगस्त,2016 में कुल 1024 प्रिंट एस0आई0ओ0 के विरूद्व 4 एस0आई0ओ0 डिस्पैच हुआ है। एस0आई0ओ0 डिस्पैच की स्थिति धीमी को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से लेते हुए सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा जिला अन्तर्गत को निदेशित किया गया कि लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता को डोर स्टेप डिलेवरी के तहत् खाद्यान्न की आपूर्ति यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करे, ताकि लाभार्थियों के बीच खाद्यान्न का ससमय वितरण कराया जा सकें। खाद्यान्न आपूर्ति के समय गोदाम प्रबंधक इस बात का अवश्य ध्यान रखेगें कि किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को एक साथ दो माह का खाद्यान्न की आपूर्ति नही हो। इस तरह के मामलो में अपने क्षेत्रान्तर्गत के अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही खाद्यान्न की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेगें। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बैकलॉग संबंधित खाद्यान्न वितरण वे स्वयं अपने पर्यवेक्षण में सुनिश्चित करायेगें। बैकलॉग खाद्यान्न का बिना अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उठाव कराये जाने वाले सहायक गोदाम प्रबंधक के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

➢ इसी क्रम में सभी सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न के उठाव हेतु गोदाम पर जितनी मात्रा में ट्रेक्टर चाहिए उतनी मात्रा में उपलब्ध नही रहता है, फलस्वरूप खाद्यान्न की उठाव धीमी हो जाती है। जिलाधिकारी द्वारा पुनःजिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को यह भी निदेश दिया गया कि वे प्रखंडवार/गोदामवार खाद्यान्न के उठाव की आकलन कर ट्रेक्टर की उपलब्धता परिवहन अभिकर्त्ता से कराते हुए खाद्यान्न का उठाव डोर स्टेप डिलेवरी के तहत शतप्रतिशत कराना सुनिश्चित करायेगें। साथ ही माह जुलाई,2016 के खाद्यान्न का शतप्रतिशत उठाव होने के पश्चात ही संबंधित प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अगले माह का खाद्यान्न का आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगें। साथ ही जिला प्रबंधक को निदेश दिया जाता है कि खाद्यान्न उठाव में परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा विलंब किया जाता है तो उस अनुपात में उनके भुगतेय राशि से कटौती किया जाय।

(4) खाद्यान्न वितरणः-

बैठक में खाद्यान वितरण की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित दर के अनुरूप अपने देख-रेख में खाद्यान्न का वितरण करायेगें। यदि किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्व उपभोक्ताओं से कम खाद्यान्न वितरण किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत जॉच कर दोषी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्व अभिलंब कार्रवाई करने का प्रस्ताव संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को देगें। खाद्यान्न/किरासन तेल की वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार अनियमितताये संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जायेगी।

(5) निरीक्षणः-

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता का किये गये निरीक्षण का समीक्षोपरांत पाया गया कि मधेपुरा अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड मुरलीगंज को छोड़कर किसी भी प्रखंड में किसी प्रकार की अनियमितता प्रतिवेदित नही है। इस संबंध में जिलाधिकारी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति